रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 1981/वैशाख 9, 1903
No. 92] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 1981/VAISAKHA 9, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 22 आईटीसी (पीएन)/81

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1981

विषय :—1981-82 के लिए आयात नीति

फा. सं. आईपीसी/5/2/81.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 13-आईटीसी (पीएन)/81, दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के अधीन प्रकाशित यथा संशोधित अप्रैल 1981-मार्च 1982 के लिए आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. 1981-82 की आयात नीति के परिशिष्ठ-10 में मद सं. 2 के अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के लिए निम्नलिखित लोहे तथा इस्पात की नई मदें खुले सामान्य लाइसेंस में ला दी गई हैं और इनके लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

(1) कायल में उच्च कार्बन (0.6 प्रतिशत और इससे अधिक कार्बन) की इस्पात तार छड़ें ।

(2) कायल्स में सभी वर्गों की कार्बन की (0.6 प्रतिशत से कम कार्बन) इस्पात तार छड़ें ।

(3) 2.2 एम. एम. और कम की कोटाई में हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स

(4) आई. एस. 2830/2831 या इसके समतुल्य विशिष्टकरण के कार्बन इस्पात बिल्लेट्स

(5) स्क्वेयर्स / राउन्ड्स / राड्स / हैक्सागन्स / आक्टागन्स/सभी श्रेणियों के कार्बन इस्पात के फ्लैट्स ।

3. उपर्युक्त मदों के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि पात्र आयातकों को अपनी आयात संविदाएं लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के पास पंजीकृत करवानी पड़ेंगी । लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा ऐसे पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में सम्बद्ध संविदाओं पर मोहर लग जाने के बाद ही आयातों की स्वीकृति दी जाएगी । इस प्रयोजन के लिए लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के पास संविदा की दो प्रतियां जमा करानी चाहिए और वह प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर लगा कर उसकी एक प्रति पार्टी को लौटा देगा यह शर्त लागू आयात नीति के अनुसार इन मदों के आयात के लिए पात्र निर्यात सदनों और व्यापार सदनों के लिए भी लागू होगी जिसके अधीन वे खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के लिए यथा अनुमेय कच्चे माल का आयात कर सकते हैं ।

4. तद्नुसार निम्नलिखित शर्त को 1981-82 की आयात नीति के पृष्ठ-117 पर दर्शाए गए परिशिष्ठ 10 में शर्त सं. (22) के बाद निविष्ट किया जाएगा :—

"(22) निम्नलिखित लोहे तथा इस्पात की मदों के मामले में जिन का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन

अनुमेय है, पात्र आयातकों—वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) और अन्य को ऐसी संविदाओं को करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपनी आयात संविदाएं लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के पास पंजीकृत करवानी पड़ेंगी । लोहा तथा इस्पात नियंत्रक कलकत्ता द्वारा ऐसे पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में समबद्ध संविदाओं पर मोहर लग जाने के बाद ही आयातों की स्वीकृति दी जाएगी । इस प्रयोजन के लिए लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के पास संविदा की दो प्रतियां जमा करानी चाहिए और वह प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर लगाकर उसकी एक प्रति पार्टी को लौटा देगा । ये मदें निम्नलिखित होंगी :—

(1) कायल में उच्च कार्बन (0.6 प्रतिशत और इससे अधिक कार्बन) की इस्पात तार छड़

(2) कायल्स में सभी वर्गों की कार्बन की (0.6 प्रतिशत से कम कार्बन) इस्पात तार छड़

(3) 2.5 एम.एम. और कम की मोटाई में हाट रौल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स

(4) आईएस-2830/2831 या इसके समतुल्य विशिष्टकरण के कार्बन इस्पात बिल्लेटस

(5) स्क्वेयर्स / राउण्डस / हैक्सागन्स / आक्टागन्स/ सभी श्रेणियों के कार्बन इस्पात के फ्लैट्स ।

6. 3 अप्रैल, 1981 से इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख तक की अवधि के दौरान 1981-82 के लिए आयात नीति के अधीन उपर्युक्त मदों के लिए पात्र आयातकों द्वारा पहले ही पंजीकृत करवाई गई आयात संविदाएं भी 15 मई, 1981 तक लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के पास पंजीकृत करानी चाहिए । सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ऐसी संविदाओं के मद्दे आयात की स्वीकृति भी पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा विधिवत मोहर लगी सम्बद्ध संविदा की प्रति को प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी ।

6. 1981-82 के आयात नीति के पृष्ठ 105 पर दर्शाए गए परिशिष्ट-7 में लोहे तथा इस्पात तथा लोह मिश्र धातु की प्रतिबंधित सूची में निम्नलिखित मद को वर्तमान प्रविष्टि 2 के बाद जोड़ा गया समझा जाएगा :—

2-क "सभी सेकण्ड/सेकण्ड वर्ग/नुकसवाले कटिंग्स/कार्बन इस्पात प्लेटस के सभी वर्गों के बिना लेपित अवस्था में सर्किल/शीट्स/ किसी भी रूप में/आकार में स्ट्रिप्स"

मनि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक-
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

Public Notice No. 22-ITC(PN)/81

New Delhi, the 29th April, 1981

Subject : Import Policy, 1981-82.

F. No. IPC/5/2/81.—Attention is invited to the import policy for April 1981-March 1982, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 13-ITC(PN)/81 dated 3-4-1981, as amended.

2. The following items of iron and steel have been newly placed on Open General Licence for Actual Users (Industrial) vide Item No. 2 in Appendix 10 of import policy, 1981-82, subject to the conditions applicable thereto :—

(i) High carbon (carbon 0.6 per cent and above) steel wire rods in coils.

(ii) All grades of carbon steel (carbon less than 0.6 per cent) wire rods in coils.

(iii) Hot rolled sheets/strips/coils in thickness 2.5 mm and below.

(iv) Carbon steel billet to specification IS-2830/2831 or equivalent.

(v) Squares|rounds|rods|hexagons|octagons|flats of carbon steel of all grades.

3. It has been decided that in respect of the above items, eligible importers shall be required to register their import contracts with the Iron and Steel Controller, Calcutta. Imports shall be allowed only after the connected contracts have been stamped by the Iron and Steel Controller, Calcutta as evidence of such registration. For this purpose, two copies of the contract should be lodged with the Iron and Steel Controller, Calcutta and he will return one copy to the party duly stamped on each page. This condition will also be applicable to Export Houses and Trading Houses eligible to import these items in accordance with the import policy in force under which they can import raw materials as are open to Actual Users (Industrial) under Open General Licence.

4. Accordingly the following condition shall be incorporated after condition No. (22A) in Appendix 10 at page 117 of import policy, 1981-82 :—

"(22-B) In the case of undermentioned iron and steel items of which import is allowed under Open General Licence, the eligible importers—Actual Users (Industrial) and others—shall be required to register their import contracts with the Iron and Steel Controller, Calcutta within fifteen days from the date of entering into such contract. Imports shall be made only after the connected contracts have been stamped by the Iron and Steel Controller, Calcutta as evidence of such registration. For this purpose, two copies of the contract should be lodged with the Iron and Steel Controller, Calcutta and he will return one copy to the party duly stamped on each page. These items are :—

(i) High carbon (carbon 0.6 per cent and above) steel wire rods in coils.

(ii) All grades of carbon steel (carbon less than 0.6 per cent) wire rods in coils.

(iii) Hot rolled sheets/strips/coils in thickness 2.5 mm and below.

(iv) Carbon steel billet to specification IS-2830/2831 or equivalent.

(v) Squares/rounds/rods/hexagons/octagons/flats of carbon steel of all grades."

5. The import contracts already entered into by eligible importers for the aforesaid items under the import policy for 1981-82, during the period from 3rd April, 1981 to the date of this Public Notice should also be registered with the Iron and Steel Controller, Calcutta not later than 15th May, 1981. Imports against such contracts will also be allowed by the customs authorities only on production of the copy of the relevant contract duly stamped by Iron and Steel Controller as evidence of registration.

6. The following item shall also be deemed to have been included in the Restricted list of iron and steel and ferro alloys in Appendix 7 at page 105 of import policy, 1981-82, after the existing entry 2 therein :—

"2-A. All seconds/second grades/defectives/cuttings/circles in uncoated condition of all grades of carbon steel plates/sheets/strips/coils in any form/shape".

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports and Exports